भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2044

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

भू-जल स्तर में गिरावट

2044. श्री जिया उर रहमानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न जिलों में गिरते भू-जल स्तर का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या कोई जिला-विशिष्ट भू-जल पुनर्भरण योजनाएं तैयार की गई हैं और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जी, हाँ। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से प्रति वर्ष देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है। सक्रिय भूजल संसाधन आकलन, 2025 के अनुसार, देश का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 448.52 बिलियन घन मीटर (बीसीएम), वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 407.75 बीसीएम और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247.22 बीसीएम आंका गया है। देश के लिए भूजल निष्कर्षण का स्तर 60.63 प्रतिशत आंका गया है।

6,762 आकलन इकाइयों (ब्लॉकों/तालुकों/मंडलों) में से 730 (10.80%) को अति-दोहित, 201 (2.97%) को गंभीर, 758 (11.21%) को अर्ध-गंभीर, 4,946 (73.14%) को सुरक्षित और 127 (1.88%) को लवणीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भूजल संसाधनों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.jalshakti-dowr.gov.in/static/uploads/2025/11/711d8d476bbf498cd90f8038e7371227.pdf

(ख): जल राज्य का विषय है। राज्य के सभी जिलों में भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है। इस दिशा में जिला-स्तरीय पहल सहित उठाए गए प्रमुख कदमों का विवरण निम्नलिखित हैं:

i. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर करते हुए नैक्यूम 1.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और हमारे राष्ट्र के भूजल संसाधनों की वृहद स्तर पर समझ प्रदान की गई। प्रबंधन योजनाओं के साथ जिला-स्तरीय रिपोर्ट तैयार की गई हैं और राज्य सरकारों के साथ साझा की गई हैं। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जल की कमी वाले जिलों और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नैक्यूम 2.0 की शुरुआत की गई है। नैक्यूम 2.0 के तहत, अत्यधिक विस्तृत वैज्ञानिक डेटा के सृजन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है, जो स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए सटीक और सूचित निर्णय लेने हेतु एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में कार्य करता है।

ii. देश के भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए सरकार के प्रयास मुख्य रूप से फ्लैगशिप अभियान जल शक्ति अभियान (जेएसए) के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, जो जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक वार्षिक मिशन मोड कार्यक्रम है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, जेएसए के तहत अब तक देश में अभिसरण (कनवर्जेंस) के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण कार्य किए गए हैं, जिसने जल संकट ग्रस्त जिलों में भूजल संसाधनों की स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

iii. जेएसए की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 2024 में जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई है। सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर, यह पहल जिलों में जल की विशिष्ट चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करने का प्रयास करती है। इस पहल के तहत देश भर में 1.55 करोड़ से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके पश्चात, जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण के लिए 01 जून 2026 को देश भर में जेएसजेबी-कैच द रेन' (सीटीआर) अभियान शुरू किया गया है।

iv. जल शक्ति मंत्रालय ने द्वारा अटल भूजल योजना के माध्यम से समुदाय आधारित सहभागी भूजल प्रबंधन योजना का सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया गया है, जिसे 7 राज्यों के 80 जिलों की जल की कमी वाले 8,203 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया था। इस योजना के तहत अभिसरण (कनवर्जेंस) और प्रोत्साहन राशि के उपयोग के माध्यम से चेक डैम, तालाब, शाफ्ट आदि जैसी विभिन्न वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, तथा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने का कार्य किया गया।

v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना

था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, जिससे जल भंडारण और भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई है।

vi. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें जल निकायों का पुनरुद्धार और हरित स्थानों का विकास शामिल है, जो भूजल पुनर्भरण में योगदान करते हैं। अमृत / अमृत 2.0 के तहत, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 1.21 लाख एकड़ क्षेत्र को शामिल करते हुए 2,960 जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाएं और लगभग 18,168 एकड़ पारगम्य हरित क्षेत्र को कवर करते हुए 4,171 पार्क और हरित स्थान परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, उथले शहरी जलभृतों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए उथला जलभृत प्रबंधन (एसएएम) पहल शुरू की गई है।

vii. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू) द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत के स्तर पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल घटक का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना देश भर के जिलों में कुशल सिंचाई प्रथाओं का समर्थन करती है, जिससे भूजल निष्कर्षण कम होता है और भूजल संसाधनों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा मिलता है।

viii. भारत सरकार द्वारा सिंचाई तक वास्तविक पहुंच में सुधार करने, खेत के स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) आरंभ की गई थी। पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के तहत, मौजूदा जल निकायों को बहाल करने और उनका पुनरुद्धार करने के लिए जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे जल की उपलब्धता बढ़ती है और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलता है।

ix. वीबीजी-राम-जी के तहत जल संरक्षण और जल संचयन से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। गंभीर और अति-दोहित जिलों में, आवंटित धन का 65 प्रतिशत हिस्सा विशेष रूप से जल संरक्षण कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है।
